

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
(बजट सत्र, 2023)

(27 फरवरी, 2023 से 27 मार्च, 2023 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-1				
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री			
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	-----	28.02.2023	01.02.2023	02.02.2023
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री	14.03.2023	07.02.2023	08.02.2023
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	21.03.2023	14.02.2023	15.02.2023
स्कूल शिक्षा	राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा			
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-2				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
जनसम्पर्क	-----"			
नर्मदा घाटी विकास	-----"			
विमानन	-----"			
प्रवासी भारतीय	-----"			
महिला एवं बाल विकास	-----"			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	-----"			
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	-----"			
आनंद	-----"	01.03.2023	02.02.2023	03.02.2023
वित्त	वित्त मंत्री	15.03.2023	08.02.2023	09.02.2023
वाणिज्यिक कर	-----"	27.03.2023	15.02.2023	16.02.2023
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	-----"			
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री			
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	-----"			
पर्यटन	पर्यटन मंत्री			
संस्कृति	-----"			
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	-----"			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री			
वर्ग-3				
वन	वन मंत्री			
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री	02.03.2023	02.02.2023	03.02.2023
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	-----"	16.03.2023	09.02.2023	10.02.2023
राजस्व	राजस्व मंत्री			
परिवहन	-----"			
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री			
श्रम	-----"			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-4				
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री			
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	----"----			
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री	03.03.2023	05.02.2023	06.02.2023
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	17.03.2023	12.02.2023	13.02.2023
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री			
पर्यावरण	----"----			
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
आयुष	राज्य मंत्री, आयुष			
वर्ग-5				
गृह	गृह मंत्री			
जेल	----"----			
संसदीय कार्य	----"----			
विधि एवं विधायी कार्य	----"----			
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री			
अनुसूचित जाति कल्याण	----"----	13.03.2023	06.02.2023	07.02.2023
पशुपालन एवं डेयरी	पशुपालन मंत्री	20.03.2023	13.02.2023	14.02.2023
* सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण	----"----			
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री			
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	----"----			
सहकारिता	सहकारिता मंत्री			
लोक सेवा प्रबंधन	----"----			
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	----"----			

भोपाल :
दिनांक : 30.01.2023

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट -

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना नवीन प्रश्न प्रपत्र (पंचदश विधान सभा) श्रृंखला 'ग' के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें। पूर्व श्रृंखला के प्रश्न प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग के लिए नियत है।
4. ऑफलाईन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।
5. *मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 02, दिनांक 03.01.2023 द्वारा "सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग" का नाम परिवर्तित कर "सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" किया गया है।